

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।  
पत्रांक 1117 /14-1(24614), आगरा, दिनांक, 23 सितम्बर, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ ।

विषय :- आगरा में अबन्ती बाई चौराहे से रोहता तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा छः लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति ।

संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक 583/11-सी दिनांक 14.09.2018 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 1337/14-1 दिनांक 17.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आख्या के आधार पर बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण संस्तुति सहित निम्नवत् है :-

क्र०सं०	आपके कार्यालय की आपत्ति	निस्तारण
1	प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये गये के,एम,एल, फाइल में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की आकृति एवं क्षेत्रफल प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजीटल मैप से मेल नहीं खाता है।	संशोधित के,एम,एल, फाइल एवं सी०डी० संलग्न है।

प्राप्त अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

समस्त मेलों में सहित प्राप्त किया  
विपि वन संरक्षक  
I.C. P.W.-D Aggra

भवदीय,

प्रभारी वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 1117 / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (निर्माण खण्ड-1), लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभारी वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।